न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी,
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 8/2019

अपीलाण्ट

सुखा पुत्री स्वर्गीय बस्ताराम जाति मेघवाल, निवासी ग्राम बड़लिया तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. ढलकी पत्नी स्व भीयाराम
2. बेबी पत्नी ओमाराम
3. किशन पुत्र ओमाराम
4. सरिता पुत्री ओमाराम
5. कन्या पुत्री ओमाराम

   रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता बेबी पत्नी ओमाराम
6. सोमती पुत्री डायाराम सभी जातियान मेघवाल, निवासी मेलवा तहसील लुणी जिला जोधपुर।
7. सरपंच ग्राम पंचायत धवा तहसील लुणी जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अंर्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिक्ता अपीलाण्ट श्री ईश्वर सिंह चम्पावत उपस्थित,
रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 व 7 अनुपस्थित,
रेस्पोडेंट संख्या 6 श्री भागीरथ अधिवक्ता उपस्थित,

दिनांक 6-3-2020

निर्णय

उपरोक्त अनवान सदर में अपीलाण्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 आरक्षित भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 546 दिनांक 01.12.1973 के विरुद्ध रेस्पोडेन्टगण के पेश कर निवेदन किया कि मौजा धवा प्रथम तहसील लुणी व जिला जोधपुर हाल मौजा ग्राम मेलवा में स्थित खसरा नम्बर 5 रकबा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner

41 बीघा 6 बिस्वा भूमि वक्त सेटलमेन्ट खतौनी बन्दोबस्त तथा उसके बाद जमाबंदी में अपीलांट के पिता बस्ताराम उर्फ बस्तीया के नाम खातेदार दर्ज थी उनकी मृत्यु होने के बाद फौतगी का म्यूटेशन फर्जी गोदपुत्र बनकर भीयाराम पुत्र हीराराम ने अपना नाम म्यूटेशन स्वीकृत करवा दिया उक्त म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट को कोई नोटिस व सुनवाई का मौका नहीं दिया। अपीलाण्ट हिन्दू अधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत बस्ताराम उर्फ बस्तीया की जायन्दा पुत्री होने के कारण प्रथम श्रेणी की वारिस थी। अपीलाण्ट के अलावा खातेदार बस्ताराम उर्फ बस्तीया के अन्य पुत्रियां व पुत्र भी था। इस कारण प्रथम श्रेणी के वारिसान् के जीवित होने के कारण द्वितीय श्रेणी के वारिसान् के नाम म्युटेशन स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अपीलाण्ट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। इस कारण ऐसा आदेश वॉइड एण्ड ऐबनिश्यों माना जायेगा। ऐसा आदेश को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसे आदेश पर किसी भी म्याद का बिन्दू लागु नहीं होता है। इस कारण नामान्तकरण संख्या 546 जो दिनांक 01.12.1973 को सरपंच ग्राम पंचायत धवा द्वारा स्वीकृत कर दिया गया जिसे निरस्त करने हेतु उक्त अपील पेश की गई है।

अपीलाण्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता भागीरथ विश्नोई ने वकालत नामा व जवाब पेश किया तथा अन्य रेस्पोडेन्टगण सूचना के बावजूद भी अनपुस्थित उनके नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए जो पत्रावली में संलग्न है।

प्रकरण उपस्थित उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस को सुनी गई अपीलाण्ट अधिवक्ता ने बहस में यह निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 546 खातेदार बस्ताराम उर्फ बस्तीया के फौत होने पर तारीख 01.12.1973 को स्वीकृत किया गया है उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया है जिसमें अपीलाण्ट को कोई नोटिस व सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। अपीलाण्ट खातेदार बस्ताराम उर्फ बस्तीया की जायन्दा पुत्री हैं। इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान् जीवित होते हुए द्वितीय श्रेणी के वारिसान् के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। भीयाराम पुत्र हरिराम ने बस्ताराम उर्फ बस्तीया को फर्जी गोद पुत्र बनकर नामान्तरकरण संख्या 546 स्वीकृत करवाया है जो निरस्त करने योग्य है। अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner

यह भी निवेदन किया कि भीयाराम पुत्र हरिराम ने अपीलाण्ट के पिता बस्ताराम उर्फ बस्ता के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 546 अपीलाण्ट व अपीलाण्ट के अलावा बस्ताराम के अन्य पुत्रियां व पुत्र जीवित होते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत अपने नाम करवा दिया तथा भीयाराम पुत्र हरीराम के पिता फौत होने के बाद नामान्तरकरण संख्या 1077 दिनांक 24.12.1988 को स्वीकृत करवा दिया यानी भीयाराम ने दोनो तरफ म्यूटेशन स्वीकृत करवा दिये। इस कारण भी म्युटेशन संख्या 546 को निरस्त किया जाए। इस सन्दर्भ में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा आरआरटी 2011(1) नजीर पेश की गयी। अपीलाण्ट ने धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट को नोटिस व सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। अपीलाण्ट खातेदार बस्ताराम उर्फ बस्ता जायन्दा पुत्री है। इस कारण ऐसा आदेश वॉइड एण्ड ऐबनिश्यों हैं। ऐसा आदेश को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। अपीलाण्ट को हाल में दिनांक 26.06.2019 को जानकारी हुई। इस कारण म्याद शुमार माना जावे। इस सन्दर्भ में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा आरआरडी – 14.08.2017 पेज संख्या 534 की प्रति पेश की गई। अधिवक्ता ने अंत में अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जावे नामान्तरकरण संख्या 546 ग्राम पंचायत धवा द्वारा स्वीकृत किया गया है उसको निरस्त फरमाया जावे। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 व 7 के समन पूर्व में तामिल सुदा प्राप्त लेकिन अनुपस्थित रेस्पोडेंट संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता उप0/उन्होने अपनी बहस में यह निवेदन किया कि मेरे द्वारा जवाब पेश किया गया है वही मेरी बहस है।

आदेश

हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस व कथनो पर भी मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मौजा धवा प्रथम वर्तमान ग्राम मेलबा तहसील लूणी में स्थित खसरा नम्बर 5 रकबा 41 बीधा 6 बिस्वा भूमि जिसमें अपीलाण्ट के पिता बस्ताराम उर्फ बस्ता की खातेदारी भूमि हैं। हिंदू उत्ताधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलाण्ट बस्ताराम उर्फ बस्ता की प्रथम श्रेणी की वारिस हैं। इस कारण प्रथम श्रेणी की वारिस जीवित है तो द्वितीय श्रेणी के वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता। नामान्तरकरण संख्या 1077 ग्राम धवा प्रथम पेश किया गया है जिससे यह स्पष्ट साबित होता है कि भीयाराम पुत्र

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner

हरिराम ने गोद बेटे बनकर बस्तीराम उर्फ बस्ता के फौत होने पर भी नामान्तरकरण अपने नाम पर स्वीकृत करवा दिया तथा अपने स्वयं के पिता हरीराम का देहान्त होने पर नामान्तरकरण संख्या 1077 अपने नाम स्वीकृत करवा दिया। इस प्रकार दोनो नामान्तरकरण भीयाराम ने स्वयं अपने नाम स्वीकृत करवाया हैं जो विधिसम्मत नहीं है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम एवं अपील को स्वीकार किया जाकर मौजा धवा प्रथम (मेलबा) में स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 41 बीघा 6 बिस्वा का बस्तीराम उर्फ बस्ता के विरासत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 546 सरपंच ग्राम पंचायत धवा द्वारा दिनांक 01.12.1973 को स्वीकृत किया गया, को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार लूणी को रिमाण्ड किया जाकर स्व. बस्तीराम उर्फ बस्ता के विधिक वारिसानो की मजमे ए आम में जाँच कर नये सिरे से सभी हितबद्ध पक्षो को सुनकर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner